


आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्यवाही टिप्पणी आदेश
14/9/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित,</p> <p>मूल पंजी II/जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया। इस अवैध/संदिग्ध जमाबंदी के संबंध में भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत पूर्व से वाद सं० 12/1617 के अन्तर्गत कार्यवाही संचालित है। चूंकि एक ही मामले में दो अलग-अलग वाद के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती है। इस कारण अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी तोरपा। </p>	

जमाबंदी वाद सं० :- 12/2016.

प्रश्नगत भूमि मौजा 1120/जी खाता सं० 22 प्लॉट सं० 285
रकबा 2.500.00 से संबंधित है। यह भूमि आर०एस० खतियान में गैरमजरूआ खास भूमि
तथा पंजी II के पृष्ठ सं० 72 भोल्युम सं० 5 में रैयत सामं मुंजा क विरसा मुंजा पिता - पट्टा मुंजा
के नाम पर दर्ज पाया गया।

उक्त जमाबंदी के विरुद्ध वाद सं० 12/2016 सं० 18/2016 के अन्तर्गत 4h की सुनवाई चल रही
है। चूंकि एक ही मामले पर दो अलग-अलग वाद के तहत सुनवाई उचित नहीं है। अतः इस वाद की
कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। एवं अन्य वाद सं० 18/2016 पर 4h से 12/2016 की
सापेक्षी है।



राजस्व कर्मचारी



अंचल निरीक्षक